न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर

पीठासीन अधिकारी :—देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :— 169/2016

उनवान

होनी पत्नी मोहन सिंह जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री रमेश रावत

बनाम

1. लाडू पुत्र हमता जाति रावत निवासी ग्राम चैनपुरा, नसीराबाद
2. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 अनुपस्थित
2 जरियें राज. पैराकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक :— 10.9.24

:— निर्णय :—

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.12 व 691/2530 रकबा 0.01 की आराजी वादी की कयशुदा है जो राजस्व अभिलेख में वादी के नाम अंकित है। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नही है। प्रतिवादी सख्या 1 अत्यंत बलशाली है, तथा उसने वादी की भूमि पर दिनांक 20.08.2016 को गेर कानूनी रूप से बलपूर्वक हल चला कर कब्जा कर लिया है। अतः आराजी मुतनाजा से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर भूमि का कब्जा वादी को दिलवाया जावे। प्रतिवादी को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 को अनेक अवसर देने के उपरान्त भी उसके द्वार वाद के खण्डन में जवाब पेश नही किया गया। वाद विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व विधिवत रूप से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। राज. पैरोकार ने जवाब पेश किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी होनी व गवाह मेवा का शपथ पत्र पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चैनपुरा के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.12 व 691/2530 रकबा 0.01 की आराजी वादी की कयशुद [illegible] जरियें नामान्तकरण संख्या 476 दिनांक 05.09.06 से वादी के नाम एकल खातेदारी द[illegible]। प्रतिवादी संख्या 1 का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिक[illegible] प्रतिवादी संख्या 1 को समुचित अवसर देने के उपरान्त भी उसके द्वारा [illegible] नही किये जाने के कारण दिनांक 07.01.2021 को प्रतिवादी संख्या 1 [illegible] किया गया। राज. [illegible] ने भी वाद का कोई खण्डन नही किया है। वादी ने अपने [illegible] के समर्थन में वादी व [illegible]वा

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद [illegible]

सिंह का शपथ पत्र पेश किया है। प्रकरण विचारण के दौरान प्रतिवादी संख्या 1 प्रकरण में अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा कोई साक्ष्य व दस्तावेज भी पेश नही किये है। आराजी मुतनाजा वादी की एकल खातेदारी की है। प्रतिवादी का उक्त आराजी पर कब्जा गेर कानूनी व अवैध सिद्व होता है। प्रकरण का कोई खण्डन नही होने व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य व दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद होती है। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

उक्तानुसार ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.12 व 691/2530 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

होनी बनाम लाडू

दावा बाबत :– 183, 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 169/2016
पेश करने की दिनांक – 27.10.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक मुद्दई रमेश रावत अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम चैनपुरा प.म. राजगढ के हाल खसरा नम्बर 691 रकबा 0.12 व 691/2530 रकबा 0.01 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है तहसीलदार नसीराबाद उक्त आराजी से प्रतिवादी संख्या 1 को बेदखल कर कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही करावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर वादी के कब्जे काश्त में दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक—— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 10 माह 9 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 14:29:49 IST
Reason: SelfAttested